(c) The following steps have been/are being taken to prevent illegal traffic;

(i) all immigration authorities examine genuineness and validity of the travel documents including Protector of Emigrants (POE) endorsement, by comparing the same with the specimen signature available with them and also scrutinise their genuineness by examining security features with the helps of ultra-violet lamp, magnifying glass and questionable document examiner. Further the immigration officers resort to computerised screening to find out whether the passenger figures adversely. Instructions have been/are issued from time to time to the immigration authorities at International Airports advising them to be more vigilant in such matters.

(ii) The Ministry of Labour have advised the Home Departments of the State Governments for keeping a strict vigil on the activities of the unauthorised agents.

(iii) The Protector of Emigrants exercise extra vigil while scrutinising the travel documents including the employment contract before granting emigration clearance.

(d) and (e) Adequate legal and penal provisions have been made in the Emigration Act, 1983 to crub illegal traffic. All offences under this Act are cognizable. The existing provisions are reviewed from time to time with a view to making the same more effective.

Welfare Schemes for Labourers

1270. DR. JAGANNATH MISHRA : Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) the details of the welfare schemes proposed to be implemented by Government for the welfare of the labourers working in public sector undertakings, private sector industries and factories;

(b) the number of labourers likely to be benefited by these schemes;

(c) whether any machinery is to be set up for the effective implementatin of these Schemes; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF POWER (SHRI R. KUMARAMANGLAM): (a) to (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House

बेरोजगार युवा

1271. **श्री बरजिन्दर सिंह:**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1997 के अन्त तक देश में बेरोजगार नवयुवकों की संख्या 58 मिलियन थी और आगामी दस वर्षों के दौरान यह संख्या बढ़कर 94 मिलियन हो जाने की संभावना है;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार का इस संबंध में क्या अनुमान है;

(ग) क्या यह भी सच है कि वर्ष 2002 ई० तक देश में सभी लोगों को काम देने के लिए रोजगार के अवसर 3 प्रतिशत तक बढ़ाने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का अनुमान क्या है और देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए उसकी भावी योजना क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री आर० कुमारमंगलम): (क) जी, नहीं।

(ख) वर्ष 1993-94 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के परिणाम यह दर्शाते हैं कि 1 जनवरी, 1994 को सामान्य मुख्य स्थिति के अनुसार 9 मिलियन बेरोजगार थे। बाद की अवधि के सर्वेक्षण के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) 9वीं योजना दृष्टिकोण में पर्याप्त उत्पादक रोजगार सृजित करने तथा गरीबी का उन्मूलन करने की दृष्टि से कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देने की परिकल्पना की गई है। बेरोजगारी एवं अल्परोजगार की उच्च दरों की प्रवृत्ति वाले क्षेत्रों में श्रम सघन सैक्टरों,

सब-सैक्टरों तथा प्रौद्योगिकियों पर संकेन्द्रण से विकास प्रक्रिया में अधिक उत्पादक रोजगार स्वतः ही सृजित होगा।

कार्यरत श्रमिक शक्ति

1272. **श्री बरजिन्दर सिंह:**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1997 के अंत में देश में कार्यरत श्रमिकों की कुल संख्या 397 मिलियन थी, जिसमें से 237 मिलियन श्रमिक कृषि क्षेत्र में कार्यरत थे;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार का इस संबंध में अनुमान क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि देश में खेतिहर मजदूर असंगठित होने के कारण अपनी कड़ी मेहनत के एवज में पूरा पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो देश में विभिन्न राज्यों, यथा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में खेतिहर मजदूरों की दैनिक मजदूरी कितनी-कितनी है?

विद्युत मंत्री (श्री आर० कुमारमंगलम): (क) जी, नहीं।

(ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा कराये गये नमूना सर्वेक्षण के अनुसार, उन व्यक्तियों की अनुमानित संख्या जो 1.1.1994 के अनुसार कार्यरत थे, 332 मिलियन थी जिसमें से 207.83 मिलियन व्यक्तियों के कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में होने का अनुमान है। बाद की अवधि के आकलन उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत, राज्य सरकारें कृषि में नियोजन हेतु अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन और प्रवर्तन के लिए समुचित सरकारें हैं। अधिनियम के अधीन गठित, विभिन्न समुचित सरकारों के प्रवर्तन तन्त्र खेतिहर मजदूरों को उचित मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करता है। विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में अकुशल श्रेणी के खेतिहर मजदूरों के मजदूरी की न्यूनतम दर के बारे में उपलब्ध सूचना को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। **(नीचे देखिये)**

विवरण

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कृषि कर्मकारों के लिए नियत न्यूनतम मजदूरी की दैनिक दरें

(1.4.98 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अकुशल कृषि कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	30.00 रु० से 36.50 रु० प्र० दि० (क्षेत्रों के अनुसार) (12.2.96)
2.	अरुणाचल प्रदेश	21.00 रु० से 23.00 रु० प्र० दि० (क्षेत्रों के अनुसार) (1.11.90)
3.	असम	1134.00 रु० प्रतिमाह "या 984.00 रु० प्रतिमाह जमा भोजन आवास और कपड़े (1.8.89)
4.	बिहार	27.30 रुपये प्रतिदिन (21.12.95)
5.	गोवा	40.00 रु० प्रतिदिन (8.5.95)
6.	गुजरात	34.00 रु० प्रतिदिन (1.4.96)
7.	हरियाणा	60.12 रु० प्रतिदिन" भोजन सहित या 64.12 रु० प्रतिदिन बिना भोजन (1.1.98)